पदमाराम बनाम भीवाराम
प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज मु. 5 . 23/18	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	पेश हो।	
9/06/19	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु पूर्व आदेशानुसार (आईन्दा) दिनांक 28/06/2019 को पेश हो।	
28/06/19	वकुलाय फरीकैन उप०। समयाभाव के कारण पूर्वादेशानुसार पत्रावली दि. 02/07/19 को पेश हो।	
02/07/19	वकुलाय फरीकैन उप०। पत्रावली वास्ते पूर्वादेशानुसार दि. 04/07/19 को पेश हो।	
4/07/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप०। वकुलाय उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर लगौर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर राजस्व रेकार्ड, पेशशुदा दस्तावेज व Rulling का अवलोकन किया गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि बेडीचालान अवास्थित ख० नं० 257, 265, 269 प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पैतृक भूमि है जिसका कोई बाकायदा विधिक बंटवारा नहीं हुआ हैं। संयुक्त हिंदू परिवार की पैतृक भूमियों को बिना विधिक प्रक्रिया विभाजन के बेचान अजनबी को नहीं कर सकते। अगर बेच भी दी तो बिना तकासमा के अजनबी का प्रवेश नहीं हो सकता। अप्रार्थीगण के जवाब में बंटवारा लिखा लेकिन दस्तावेज पेश नहीं इसलिए साबित नहीं होता। प्रत्येक	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	अप्रार्थीगण तकसीम अनुसार अपने हिस्से में कब्जे के लिए तैयार है तो मैं तैयार हूँ। तकसीम कराने को कहा तो अप्रार्थीगण ने इनकार किया। धमकी भी दी कि जबरन कब्जा कर लेंगे, निर्माण करा देंगे। अप्रार्थीगण ने मिलकर निर्माण सामग्री डालकर निर्माण चालू कर दिया तो प्रार्थी ने न्यायालय की शरण ली। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदु मेरे पक्ष में साबित हैं। जब तक तकासमा नहीं हो अस्थाई निषेधाज्ञा को कायम किया जाए। वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदित किया कि प्रार्थी द्वारा सिर्फ 3 खसरों हेतु बंटवारा चाहा गया लेकिन खेड़ी चारणान में अन्य भी खसरे हैं जिनमें सहखातेदार हैं। RTA 53 के उपबंध (4)(5) में clear लिखा है कि सह खातेदार की जितनी जोत है सबको शामिल रूप से वाद में लाया जाएगा, अलग-2 दावे नहीं लाये जायेंगे। इन्होंने सम्पूर्ण खसरे शामिल नहीं किए इसलिए वादपत्र चलने योग्य नहीं है। बेचान किसी भी अजनबी को नहीं किया जावेगा। निर्माण की बात है तो वह स्वयं ने बनाए हैं पुराने टूटे-फूटे मकानों की जगह। बाहमी/विधिक तकासमा की बात कही है तो ख॰नं॰ 273, 274 में वादी पक्ष के पुराने मकान बने हैं। ख॰नं॰ 276, 277 वादी पक्ष व लड़के ने मकान बना रखे हैं। 40-45 वर्ष पहले बाहमी बंटवारा हो चुका है। ~~[illegible]~~ ख॰नं॰ 257, 269 अप्रार्थीगण के कब्जे में हैं। जिन पर प्रार्थी क

नम्बर व तारीख अहकाम	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	का कब्जा है उन पर दावा व टी० आई० ही पेश नहीं किया, संयुक्त जमाबन्दी है। ख०नं० 273, 274, 280, 265, 276, 277 प्रार्थी के हल में हैं, बाहमी बंटवारे में कब्जा काश्त भी है। प्रार्थी तैयार है तो वादपत्र में शामिल डिक्री जारी की जाए। स्वयं के रहने के आवास बनाने हेतु काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान है जो मौलिक अधिकार है। हम पुराने निर्माण पर ही निर्माण कर रहे हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु हमारे पक्ष में है इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाए। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, पेशशुदा दस्तावेज व Rulling का अवलोकन किया गया जिससे पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र टी० आई० से संबंधित मूल वादपत्र में अपनी सम्पूर्ण पैतृक भूमि का तकासमा नहीं चाहा गया है सिर्फ अप्रार्थीगण को अपने पुराने मकानों के जीर्णोद्धार से रोकने के उद्देश्य से एक पक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है तथा विवादित पक्षकारों के हल- अधिकारों का निर्धारण मूल वादपत्र में गुणावगुण पर होना है। अतः प्रा० पत्र टी० आई० खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील हमकीता मूल वादपत्र हो। यह आदेश आज दिनांक 04/07/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। Sd 04/07/19. सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला	

Scanned by CamScanner